

Form No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत- राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

लखन वगै० बनाम अमृतलाल वगै०
अपील संख्या 6.0./2025 GCMS NO 2025/---85

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अइकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.6.25	<p>अपील श्री हंसराम गुर्जर अधिवक्ता ने पेश की । अपील बाद जाँच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत अधिवक्ता को स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.5.25 को पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध पेश की गई है। अपीलांत का कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही आलौच्य आदेश पारित किया है। जिसके कारण अपीलांत के हित प्रभावित हो रहे हैं तथा अपीलांत को अपीलाधीन आदेश से अपूर्णनीय क्षति है। क्योंकि विवादित आराजीयता को अपीलांत द्वारा अपने बुजुर्गों के समय से ही करीब 58 वर्ष पूर्व खरीद किया गया है तभी से अपीलांत विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त है। रेस्पों का विवादित आराजीयात पर पिछले लम्बे समय से कब्जा काश्त नहीं है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एक पक्षीय स्थगन आदेश को निरस्त फरमाया जावे।</p> <p>अपीलांत अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूँकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलांत को बिना सुने ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलांत द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार किया जाता है। अतः आदेश है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम के प्रकरण संख्या 35/25 उनवानी अमृतलाल बनाम लखन वगै० मे पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 19.5.25 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे अपीलांत से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जबाब प्राप्त किया जाकर प्रार्थना पत्र टी आई के तीनों बिन्दुओं का विवेचन कर उभय पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का विधि अनुसार अंतिम निस्तारण करे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल रिकार्ड होवे</p>	



राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

